न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—81 / 2016
अन्तर्गत धारा :—53 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

जीतमल पिता हेमा जाट निवासी माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।

वादीगण

बनाम

1. रतनलाल पिता हेमा जाट निवासी माझावास तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. शोभालाल पिता हेमा जाट निवासी माझावास तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. मु0मांगी पुत्री पिता हेमा पत्नि माधु जाट निवासी मंडपिया तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 माझावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा बजरिये व्यवस्थापक
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

—:निर्णय :— दिनांक :—08.08.2017

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम माझावास पटवार हल्का माझावास सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 65 रकबा 0.61 हे0, 495 रकबा 0.15 हे0,496 रकबा 0.41 हे0 583 रकबा 0.04 हे0 गेमु रास्ता ,584 रकबा 0.54 हे0 915 रकबा 0.39 हे0 916 रकबा 0.20 हे0 1901 रकबा 0.03 हे0 1903 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 09 कुल रकबा 2.40 हे0, दर्ज रेकार्ड है । जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा संयुक्त रूप से 3/4 दर्ज रिकार्ड है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 3 अपने—अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से भूमि को उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है । उक्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से एवं कब्जे अनुसार हिस्सा विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खातें कायम करवाया जाए ।

प्रकरण का विधिवत विचारण किया जाकर वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया और तहसीलदार सहाड़ा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आरेश प्रदान किया गया तहसीलदार सहाड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण व प्रतिवादीगण को सुना गया विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार ने आपत्ति नहीं कि लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी उचित एवं न्याय हित में है ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

–:आदेशः–

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है और संयुक्त खातेदारी की आराजियात को खातेदारो में नियमानुसार विभाजन किया जाता है।

1. जीतमल पिता हेमा जाट सा0देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
584	0.054
1901	0.03
1903	0.03
कुल किता 03	**कुल रकबा 0.60 हे0**

2. **रतन लाल शोभा लाल मांगी पिता हेमा जाट सा0 देह खातेदार रहन जी0एस0एस0एस लि0 माझावास हिस्सा रतन लाल पर**

आ0नं0	रकबा
65	0.61
495	0.15
496	0.41
915	0.39
916	0.20
कुल किता 05	**कुल रकबा 1.76 हे0**

3. **जीतमल रतन लाल शोभालाल मांगी पिता हेमा जाट सा0 देह खातेदार रहन जी0एस0एस0एस0 लि0माझावास हिस्सा रतनलाल पर**

आ0नं0	रकबा
583	0.04

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश आज दिनांक 08.08.2017 को सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर,भीलवाड़ा(राज0)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)